

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2018

विषय:- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ई-कुबेर प्रणाली को आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-11/2018/ए-1-683/दस-2018-10(25)/2007 दिनांक 07 जून, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों सहित कुल 20 कोषागारों में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07 जून, 2018 में सम्मिलित कोषागारों के साथ "आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ" में भी ई-कुबेर की व्यवस्था दिनांक 11 जुलाई, 2018 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतएव "आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ" के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को भी ई-कुबेर पोर्टल पर लेन-देन करने हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 11 जुलाई, 2018 से ई-कुबेर प्रणाली लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 12/2018/ए- 1-713 (1)/दस-2018-10(25)/2007, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय उ0प्र0, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।
- (2) जिलाधिकारी, लखनऊ।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ
- (4) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001

सचिव (P)

26-06-18

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आज्ञा से,
(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।